समेकित यात्रा परामर्श– दिनांक 11 मार्च 2020

दिनांक 11 मार्च 2020

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

नोवेल कोरोनावायरस रोग के लिए समेकित यात्रा परामर्श (कोविड-19)

दुनिया भर के सौ से अधिक देशों में अब तक कोविड-19 के मामलों की सूचना मिली है। इन देशों की यात्रा करने वाले लोग या विदेश की यात्रा करने वाले लोग अपने प्रवास के दौरान या हवाई अड्डों पर पारगमन के दौरान कोविड-19 से प्रभावित लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। इन देशों में से कुछ देशों ने अपने यहां अत्यधिक संख्या में कोविड–19 के मामलों और मौतों की सूचना दी है, जिससे इन देशों के यात्रियों में संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यात्रा परामर्श जारी किए गए थे।

वर्तमान में निम्नलिखित समेकित परामर्श जारी किया गये है:

1. दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक राजनयिक, सरकारी, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, रोजगार (एम्प्लॉयमेंट) और परियोजना (प्रोजेक्ट) वीज़ा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वीज़ा 15 अप्रैल तक नहीं दिए जाने का फ़ैसला किया गया है। ये नियम सभी हवाई अड्डो और बंगरगाहों पर दिनांक 13 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से लागू होगे।

2. ओसीआई कार्डधारकों (प्रवासी भारतीय नगरिकों) को दी जाने वाली वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा पर भी दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक के लिए रोक लगा दी गयी है।

3. भारत में पहले से ही रह रहे, ओसीआई कार्ड धारक जब तक चाहे तब तक भारत में रह सकते हैं।

4. भारत में पहले से मौजूद सभी विदेशियों के वीजा वैध रहेगे और वे अपने वीज़ा के विस्तार/रूपांतरण आदि के लिए ई–एफआरआरओ मॉड्यूल (मापांक) के माध्यम से निकटतम एफआरआरओ/एफआरओ से संपर्क कर सकते हैं, यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं।

5. कोई भी विदेशी नागरिक जो अत्यावश्यक कारण से भारत की यात्रा करने का इरादा रखता है, निकटतम भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है।

6. पहले से ही वीजा प्रतिबंधों के अलावा, इटली या कोरिया गणराज्य से जाने वाले और भारत में प्रवेश करने के इच्छुक यात्रियों को इन देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से परीक्षण के बाद कोरोना वायरस से मुक्त होने के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी। यह दिनांक 10 मार्च, 2020 को 0000 बजे से प्रभावी है तथा कोरोना वायरस के मामलों पर नियंत्रण कायम करने का एक अस्थायी उपाय है।

7. दिनांक 15 फरवरी, 2020 के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा से आने वाले भारतीय नागरिकों सहित सभी यात्रियों को न्यूनतम चौदह दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यह प्रस्थान के बंदरगाह पर दिनांक 13 मार्च, 2020 को 1200 जीएमटी से लागू होगा।

8. भारतीय नागरिकों सहित, आने वाले यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है और सूचित किया जाता है कि भारत में आने पर उन्हें न्यूनतम चौदह दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा।

9. चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने से परहेज करने की भारतीय नागरिकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है।

10. भारत लौटने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए और सरकार द्वारा प्रस्तावित आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

11. भूमि सीमाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यातायात को कारगर परीक्षण सुविधाओं वाले निर्धारित चेक पोस्ट तक सीमित रखा जाएगा। इनके बारे में गृह मंत्रालय अलग से सूचित करेगा।

12. भारत में प्रवेश करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों और आव्रजन अधिकारियों के समक्ष स्वयं घोषणा फार्म की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट सेल्फ–डिक्लेरेशन फॉर्म) को व्यक्तिगत रूप से (व्यक्तिगत विवरणों के साथ फोन नंबर और भारत में पता सहित) प्रस्तुत करना होगा और उनके लिए समस्त निर्धारित स्वास्थ्य काउंटरों पर व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना आवश्यक होगा।

13. स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 पर कॉल कर सकते हैं या ncov2019@gmail.com पर ई–मेल भी कर सकते है।